न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 42/2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 देदाराम पुत्र दल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम खूड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नानू धर्मपत्नी भगवानाराम।

2 कौशल्या पुत्री भगवानाराम हाल पत्नी पूर्णमल जाति जाट निवासी ग्राम अजीतपुरा तहसील व जिला सीकर।

3 कमला पुत्री भगवानाराम हाल पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ग्राम आकवा तहसील व जिला सीकर।

4 नन्दलाल पुत्र भगवानाराम।

5 संतोष धर्मपत्नी मोतीराम।

6 मुकेश पुत्र मोतीराम।

7 संतरा पुत्री मोतीराम हाल पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ग्राम ओला की ढाणी तहसील व जिला सीकर।

8 सरोज पुत्री मोतीराम हाल पत्नी सुधीर कुमार जाति जाट निवासी ग्राम बढ़ाढर तहसील व जिला सीकर।

9 भंवरी धर्मपत्नी दूदाराम।

10 मुलचन्द पुत्र दूदाराम।

11 सुगना पुत्री दूदाराम हाल पत्नी श्री विजयपाल जाति जाट निवासी ग्राम खातीवास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 गोपाल पुत्र दूदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खुडी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 ओमपाल सिंह पुत्र देवीसिंह।
14 फतेहसिंह पुत्र देवीसिंह।
15 लोकेन्द्र सिंह पुत्र फतेहसिंह।
16 महेन्द्र सिंह पुत्र फतेहसिंह।
17 विजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम खूड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 हल्का पटवारी ग्राम खूडी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
19 तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
20 उप पंजीयक तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
21 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये प्रबन्धक।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 29.03.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बइजलास संतोष कुमार आर.ए.एस. दावा संख्या 72/2014 उनवानी देदाराम बनाम नानू आदि जिसके द्वारा अपीलांट का वाद आवेदन अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत खारिज किया गया

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

–निर्णय–

दिनांकः– 14-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दावा संख्या 72/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा बाबत उदघोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 137,154/1,190/1 वाके ग्राम खुडी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1,4 से 7 की और से आवेदन अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद में वर्णित प्रश्नगत आराजियात भूमि खसरा नम्बर 137,154/1 वाके ग्राम खूड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 स्वंय व प्रतिवादी 5 से 7 के पूर्वज मोतीहराम ने उक्त भूमियों की खातेदारी उद्घोषणा का वाद बउनवानी मोतीराम आदि बनाम देदाराम आदि मु.नं. 106/1990 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया और उक्त वाद में इस वाद के वादी देदाराम व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पूर्व दूदा ने दिनांक 16.08.1990 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया और उक्त राजीनामा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.1990 को तस्दीक किया गया एवं राजीनामा के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा दिनांक 31.10.1990 को उक्त वाद अंतिम रूप से डिक्री कर दिया गया एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.1990 की पालना में प्रश्नगत भूमियों की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गयी जो बदस्तुर जारी है। वादी ने उक्त निर्णय व डिक्री की कोई अपील किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की

एवं प्रशनगत भूमियों के सम्बंध में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है। वादी देदाराम द्वारा प्रस्तुत इस पश्चात्वर्ती वाद में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद बउनवानी मोतीराम आदि बनाम देदाराम आदि मु.नं. 106/1990 जिसमें निर्णय व डिकी दिनांक 31.10.1990 पारित की जा चुकी है एवं उक्त वाद न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चात्पर्ती वाद के पक्षकार एवं विवाद्यक विषय सारतः वही है एवं उक्त विवाद्य विषय का न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.1990 को अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। इस कारण वादी देदाराम द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जावें। विचारण न्यायालय में वादी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित करते समय इस कानूनी स्थिति की और गौर नहीं किया गया कि रेस जूडीकेटा कानून एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है, जिसका निस्तारण जवाब दावा लिया जाकर तनकी कायम करके, साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही किया जा सकता है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित करते समय इस कानूनी स्थिति की और कतई गौर नहीं किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1,4 ता 7 द्वारा जिस पूर्ववर्ती वाद में पारित निर्णय व डिकी के आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया है वह राजीनामा के आधार पर पारित की जाना अंकित ही है और कानूनन राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिकी रेस जूडिकेटा का

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रभाव नहीं रखती है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिकी स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित किये जाते समय इस तथ्य की और गौर नहीं किया गया कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 106/1990 उनवानी मोतीराम बनाम देदाराम तथा अपीलाधीन वाद के पक्षकार समान नहीं है तथा न ही विवाद बिन्दु समान है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1978 पेज 11, आर.आर.डी. 2003 पेज 394 एवं आर.आर.डी. 2000 पेज 257 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वाद संख्या 106/1990 में पक्षकार समान होना स्वीकृत तथ्य है। मोतीराम देहान्त हो चुका है वादीगण उसके वारिसान है उसके फुट स्टेप पर आये है। इन्हे अलग पक्षकार नही माना जा सकता है धारा 11 के प्रावधान सभी उतराधिकारियों पर समान रूप से लागु होते है। विचारण न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद में केवल राजीनामा ही नही अपितु इकबालिया जवाब दावा भी पेश किया गया है। अपीलांट की और से आदेश 23 नियम 3 की रिव्यू लम्बित है पूर्ववर्ती निर्णय के आधार पर नामान्तकरण खोला जाकर खातेदारी हुई है। विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1995 पेज 409, डी.एन.जे. 2017 पेज 1, आर.एल. डब्ल्यू 2013 पेज 81, आर.आर.डी. 1991 पेज 392 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 11 विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज किया गया है यह विधिक प्रश्न है। इस सम्बंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत

न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1995 पेज 409 प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नही होती है क्योंकि यह न्यायिक दृष्टांत राजीनामें की डिक्री की अपील से सम्बंधित है प्रस्तुत अपील के तथ्य भिन्न है।

धारा 11 के सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है इनमें अभिनिर्धारित किया गया है कि

आर.आर.डी. 1978 पेज 11" **Civil P.C., Sec., 11- Whether consent decree in previous suit operated as Res judicata - Consent decree is merely a record of agreement between parties to which is affixed seal of court and no decision is given on merits of case - Hence consent decree, not operated as Res judicata.** प्रस्तुत प्रकरण में भी पूर्ववर्ती वाद राजीनामे के आधार पर डिकी हुआ है। इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 11 के अन्तर्गत रेस जुडीकाटा का सिद्वान्त लागु नही होता है।

आर.आर.डी. 2003 पेज 394 " **Code of civil Procedure, Section 11- Res Judicata - Application rejected by trial court - Held, application cannot be decided without filing written statement and framing of issues - Preliminary scrutiny can only infer about the subject of dispute - 0rder passed by trial court is justified there is no error.** प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की और से न तो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया और न ही विचारण न्यायालय ने तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त किये है। ऐसी स्थिति में इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. राज. 2017 (1) पेज 1, आर.एल.डब्ल्यू 2013 (1), आर.जे. पेज 81 एवं

आर.आर.डी. 1991 पेज 392 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " **Civil procedure code, 1908 -0.7,R.11: Sec. 151- Rejection of plaint- Even if the plaint is not strictly covered u/o. 7, R.11, the same can be rejected u/s. 151 c.p.c.- Frivolous and vexatious suit ought to be nipped in the bud at the earliest.**

" C.P.C., Order 7 Rule 11, Sec. 151. - Continuation of frivolous suit - Remedy - Trial court decreed the suit for declaration and egectment - Respondent filed appeal before RAA on concocted grounds - Allowed on paredox gtounds based on surmises and conjectures - Held - If the suit is abuse of process of the court and cannot be dismiss the suit invoking powers u/s. 151 C.P.C. - Continuation of frivolous suit against any person on the ground that it cannot be dismissed since there is no ptovision u/O. 7R. 11 C.P.C. is virtually denying an aggrieved party his right to crush the frivolous litigation without suffiring the trial of suit - Set aside.

" Allegations in application for setting aside consent decree, either dales or not sustainable - Consent decree should not have been set aside.

(b) Rajasthan Tenancy Act, Section 207 read with Section 9 of the Civil Procedure Code-

Civil court should have been approached to set aside consent decree on ground of misre presentation by filing a suit but such aplea could not have been entertained by the Revenue Appllate Authority.

Lexio
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य एवं वर्तमान प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य भिन्न–भिन्न है अत यह न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर लागु नही होते है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार पूर्ववर्ती वाद राजीनामे से निर्णित होने के कारण, विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की और से जवाब दावा प्रस्तुत किये बगैर, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा धारा 11 के अन्तर्गत वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम करें, रेस जुडीकाटा के सम्बंध में पृथक से तनकी कायम करें, उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई वाद वादी गुणावगुण पर निर्णित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.3.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

14.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर